

Sale for Area Rent Stamp  
10,65,000/- Gumla 08 Dec 2022 42600/-



## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 84c321faac85f9147e5c

Receipt Date : 11-Oct-2022 12:02:23 pm

Receipt Amount : 42600/-

Amount In Words : Forty Two Thousands Six Hundred Rupees  
Only

Token Number : 20220000121128

Office Name : SRO - Gumla

Document Type : Sale Deed

Payee Name : RASHMI INDWAR ( Vendee )

GRN Number : 2213850850



-: For Office Use :-



2022/GUM/1796/BK1/1779

Rashmi Indwar

*[Signature]*  
11/10/2022

Rashmi Indwar 11.10.2022

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस मुद्रांक रसीद से पुनः में रजिस्ट्रार नहीं किया गया है।  
11-10-2022





Attorney  
Jitendra Bhagat  
Afsar  
81101022  
Adv.

With permission of  
Lal Bahadur Shastri  
Case No 1771/2022  
17/12/22

नेम 21 के अधिन एवं छोटानुपु  
कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा  
ही प्राप्य .....  
..... भारतीय स्टाम्प अधिनियम  
इंडिया स्टाम्प एक्ट 1899 का अनुच्छेद  
(या) के संख्या ..... के  
प्रतिबंधों के अधिनियम  
सहित (या) स्टाम्प शुल्क से नियुक्त  
का स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

Acceptance

AO 31950/-  
Salan 3-2  
Fee 1-2

निबंधन पदाधिकारी  
11/10/22 अंचल

का प्रतिबंधित सूची से मिलान किया  
एवं प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया।

वन भूमि सूची से जांचा  
प्रविष्टि नहीं पाया

गृहान लिपिक

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया  
सही पाया।

लिपिक  
11/10/22

नाम मोकिर :- 1. जितिया भगत पेशरान स्व० शिवकुंजन उरॉव

2. जितेन्द्र उरॉव झारखंड राज्य में श्रेणी

अनुसूचित जनजाति सी. एन. टी. एक्ट 1908 से अछादित  
पेशा खेती निवासी ग्राम करमटोली थाना वो जिला  
गुमला भारतीय नागरिक हैं। आधार नम्बर, मोबाईल  
नम्बर एवं पैन नम्बर क्रमशः:

1. xxxx xxxx 4254 मो०नं०-9631682141

पैन नं०- इ यू ए पी बी 5626 के

शपथ पत्र सं०-235/22

2. xxxx xxxx 1314 मो०नं०- 9973964773

पैन नं०-ए एफ व् यू पी ओ 3651 व् यू

शपथ पत्र सं०-236/22

सही जितिया भगत मो० 10, 65000/रुपे लाख परस 6 हजार रुपया  
लोकर मवाजौ 0.08 एकड आठ डी० जमीन दौन समिलात बिक्री लिख दिपा

दस्तावेज का माजबुन पटकर समझ लिपा अपना दस्तावेज

पेना दिपा हा 8-10-2022

जितेन्द्र उरॉव

8-10-22

Rathni gnduwan



नाम मोकिर :- रश्मि इन्दवार पिता स्व० काली इन्दवार झारखण्ड  
अलेहा राज्य में श्रेणी अनुसूचित जनजाति सी. एन. टी. एक्ट  
 1908 से अछादित पेशा गृहिणी निवासी ग्राम  
तेलगुव पोस्ट तेलगुव थाना वो जिला गुमला भारतीय  
 नागरिक हैं।

आधार नम्बर-xxxx xxxx 9355

मोबाईल नम्बर- 7488646421

पैन नम्बर- ए बी एस पी आई 6824 पी

शपथ पत्र सं०- 337/82

किसिम वसिका :- केवाला बिक्री बयला कलामी हमेशा के लिए जिसकी  
 सलाने मालगुजारी 25 पैसा अलावे शेष ।

तायदाद स्पया :- जरसमन मो० 10,65,000 / दस लाख सैंसठ हजार स्पया  
 बिक्रय मूल्य है ।

जायदाद :- मवाजी 0.08 एकड़ १ आठ डीसमिल जमीन दोन हकियत  
 रैयती वो खरीदगी वो अना-अना हक वो दखली अन्दर  
खाता नं०-48 वाके मौजा करमटोली थाना गुमला थाना  
नं०-58 जिला गुमला जिसके मुतअलके कलकट्टी वो डिस्ट्रीक्ट  
 रजिस्ट्रार वो सब रजिस्ट्रार मौकाम गुमला अन्दर जमीन-  
 दारी झारखण्ड सरकार वजरिये सर्किल अफसर गुमला अंचल  
 जमीन आवांसीय योग्य खाली है जमें पंजी II के भौलुम -  
एक के पेज नं०- 119 में ओन्दो उरगुव वगैरह के नाम से  
 दर्ज है । जमीन गुमला नगर परिषद के नया वार्ड नं०-16  
 जिसका पुराना वार्ड नं०-14 में स्थित है जिसका होल्डिंग  
 नम्बर-0 140000 229000 ए । है तथा उक्त जमीन का  
 आर.एस. खतियान में मंथन शीघ वल्द देवपाल शीघ के  
 नाम से कायमी दर्ज है

सही जितिया भगत  
 8-10-2022  
 जितिया उरुव  
 8-10-2022

प हनाग - राजकिशोर महतो पिता एक मुक मकानो  
 माक रोडग नगर करमटोली गुमला थाना गुमला  
 जिला गुमला ना: 8-10-2022

तस्सील जमीन

Rashmi Indwar



तम्शील जमीन सय बिक्री

<u>खाता नं०</u>	<u>प्लॉट नं०</u>	<u>नाम जमीन</u>	<u>रकबा</u>
48	124	पोखरा दोन	1.27 एकड़ में से
॥ अड़तालीस ॥	॥ एक सौ चौबीस ॥		जानिब बीच
			में 0.08 एकड़

चौहद्दी- उत्तर दोन पवन टोप्पो वगैरह दक्षिण पक्का सड़क पुरब नीज बिक्रेतागटा का दोन पश्चिम नीज बिक्रेतागटा का दोन

जमा रकबा आठ डीसमिल,

0.08 एकड़

बिक्री वाली जमीन का ट्रेडा नक्शा पट्टा में संलग्न है तथा बिक्री वाली जमीन नक्शा में लाल रंग से अंकित है ।

अग्ने अर लिखा जायदाद मनमोकिरान के पूर्वजों का खरीदगी जमीन है जिसका पट्टा नम्बर 50/ 1968 रजिस्ट्री तारीख 5. 1. 1968 तैयारी तारीख 12. 1. 1968 है जिसका बुक नं०-1 भौलुम-1 पेज नं० 72 से 74 निबंधन कार्यालय गुमला है मनमोकिरान अपने पूर्वजों के मरने के बाद उत्तराधिकारी वो पुत्र के हैसियत से सरकार को मालगुजारी अदा कर शांति पूर्वक दखलकार चले आते है उक्त जमीन का दाखिल खारीज वाद संख्या-19/ 68-69/ 2005-06 है मनमोकिरान पंजी II रैयत ओन्दो उरौव वगैरह के पोतागटा है वो मनमोकिरान अर लिखा जमीन को बिक्री बेचने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र न्यायालय भूमि सुधार अपसमाहर्त्ता गुमला के यहाँ दाखिल किये जिसका नम्बर अनुमति वाद संख्या 177/ 2022-23 मनमोकिरान बनाम मोकिर अलेहा पड़ा वो माननीय भूमिसुधार अपसमाहर्त्ता गुमला ने उचित जांच पड़ताल कर दिनांक 12.8. 2022 ई० को अर लिखा जमीन को मोकिर अलेहा के नाम से रजिस्ट्री बिक्री करने का आदेश दिये वो मनमोकिरान मो 10,65,000/-दस लाख पैंसठ हजार रुपया नगर वास्ते मकान बनाने एवं

लिखित आगत  
8-10-2022

जिन्हे उरौव  
8-10-22

24

उरौव

8-10-2022

Rashmi Gindwar



एवं अन्यायदगर कार्य के लिए मोकिर अलेहा से ले चुके हैं उसी स्थिति को जरसमन करार देकर वाजिब वो अदल जरसमन के बदला में अर लिखा जायदाद को आज के रोज साथ मोकिर अलेहा के बेचा वो बिक्री लिख दिया वो बिक्री बयला कलामी किया चाहिए कि मोकिर अलेहा में उनके वारीसान सय बिक्री जमीन पर बहसियत खरीदार के देखलकार होकर वो रहकर मुनासिब इंतजा मकरें वो करावे वो अपने नाम से झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में दाखिल खारीज कराकर सरकार को मालगुजारी अदा कर खास रसीद लिया करेंगे मनमोकिरान यह भी घोषित करते हैं कि उपरोक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है यह भूमि मठ मन्दिर मस्जिद गिरजा सरना तथा गुह्यारण का नहीं है यह भूमि को पूर्व में बिक्री नहीं किया गया है यह भूमि गैर मजलूआ खोते की नहीं है अब मनमोकिरान वो उनके वारीसानों का कोई वास्ता सरकार हकवो दाबी सय बिक्री जमीन पर बाकी न रहा वो न आइन्दे कमी होगा इसलिये बखुशी वो खाहिश अपने दस्तावेज बिक्री बयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे मोकाम गुमला ।

हमलोग लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16 & 20 के अधीन घोषणा करते हैं कि हमलोगो के द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है ।

Rashmi Gindwar

सहा. जितिया मजात  
8-10-2022  
जितिया उरीव 8-10-22

प्याद - संजय कुमार जोष पिला स्वयं जोषाब जोष  
यान करमटोली थाना गुमला जिला गुमला  
8-10-2022





सही जितेंद्र भगत  
ला 8-10-2022



अंगुठा



तजनी



मध्यमा



अनामिका



कानिष्ठ



जितेंद्र उराँव 8-10-22



अंगुठा



तजनी



मध्यमा



अनामिका



कानिष्ठ

सही जितेंद्र भगत  
8-10-2022

जितेंद्र उराँव 8-10-22

मैं लेख्यधारी झारखण्ड भूदब्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी जानेवाली जमीन भूदब्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।



Rashmi Indwar

8-10-2022



अंगुठा



तजनी



मध्यमा



अनामिका



कानिष्ठ

Rashmi Indwar



प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज 6 पन्नों में  
टाई किया गया है जिसमें छुड़न नहीं है ।

ममोकिरान एवं मोकिर अलेहा को बायि हा थ का पत्रचने  
अंगुलियने का ठा मेरे सम्क्षी लया गया है तथा दोनों पक्षों का  
फोटो इस दस्तावेज में चिपकाया गया है मेरे द्वारा प्रमाणित किया  
गया है ।

(A. Sahu)  
8/10/22  
Adv  
जितेंद्र उराँव

टंकक बासुदेव उररौव कोर्ट परिसर गुमला ड्राफ्टकर्ता  
श्री Ajay Sahu Advocate Gumla  
कोर्ट गुमला के ड्राफ्ट से टाई किया ।

श्री

बासुदेव उररौव  
8-10-22  
टंकक

(A. Sahu)  
8-10-2022  
ड्राफ्टकर्ता का हों Adv

Rashmi Gndewar




नाम मौजा.....कारम ठोली  
 नाम थाना.....गुमला  
 थाना नं०.....५४  
 जिला गुमला.....  
 स्कूल एक माइलबराबर...१६ इन्च  
 सन 1930-31 इस्वी



खाना नं० ४८      प्लॉट नं० १२४  
 रकबा १.२६ रुकड़ मी  
०.०८ रुकड़

~~नाम के हानुगट खरीदारी प्लॉट का नक्शा~~  
~~में काल रंग से दर्शाया गया है जिसकी मापें~~

~~उत्तर तरफ पुरुष से पश्चिम ३१' ६"~~  
~~दक्षिण तरफ पुरुष से पश्चिम ३१' ६"~~  
~~पुरुष तरफ उत्तर से दक्षिण १०६' फीट~~  
~~पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण ११३' फीट~~



~~घोड़ी उत्तर-दक्षिण पवन टोपिया कौरेट~~  
~~दक्षिण-पवनवा संकेत~~  
~~पुरुष-मिज विवेका का दान~~  
~~पश्चिम-मिज विवेका का दान~~

नाममात्रिक ① जितिया भगत ② जितेन्द्र उराँव जिना रूपं शिवपूजन  
 उराँव इगाररतण्ड राज्य में की हानुगुपित जनजाति सी०  
 रन० ली० १-६०८ से झाहदादि पेशा सेती साकिन मौजा  
 कारमठोली थाना गुमला जिला गुमला

नाममात्रिक हानुदे - वरिम इन्दवाल जिना रूपं काली इन्दवाल  
 इगाररतण्ड राज्य में की हानुगुपित जनजाति सी० रन० ली०  
 १-६०८ से झाहदादि पेशा साकिन मौजा तेलगाँव  
 थाना गुमला जिला गुमला

जितिया भगत 8-10-22  
 जितेन्द्र उराँव 8-10-22  
 Rastmi Grewar 8-10-22

Traced by  
 Sandeep Sehgal  
 Amin G...  
 23/9/2022  
 AMIN G...

Rastmi Grewar





### न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या- 177/2022-23



जितिया भगत कौरह ..... आवेदक/ आवेदिका

बनाम

रश्मि इन्दवार ..... विपक्षी

#### आदेश

आवेदक/ आवेदिका/ आवेदकगण श्री श्रीमति जितिया भगत  
जितेंद्र उराँव  
 पिता/पति श्री/स्व0 शिवपूजन उराँव ग्राम करमटौली  
 थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु  
 अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक  
 आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

#### भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
करमटौली	गुमला/58	48	124	1.27 एकड़ में से 0.08 एकड़

(कुल रकबा आठ बिसमाल)

आवेदित भूमि को आवेदक/ आवेदिका/ आवेदकगण प्रस्तावित केता श्री  
 श्रीमति रश्मि इन्दवार पिता/पति श्री/स्व0 काली  
इन्दवार निवासी ग्राम तेलगाँव

थाना गुमला जिला गुमला को राशि रुपये 10,65,000/-  
 पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/ आवेदिका/ आवेदकगण को मकान बनाने/ इम्प्लन्ट  
 हेतु/ हर बैल खरीदने/ अन्य कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई  
 अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/ आवेदिका/ आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे  
 हैं। अंचलाधिकारी गुमला को भेजे हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम  
 ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के पत्रांक 105  
 दिनांक 11-7-2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/  
 आवेदिका/ आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की

① जितिया भगत 8/10/22  
 जितेंद्र उराँव 8/10/22

Rashmi Indwar





गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर अप्रवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी अप्रवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास प्रयाप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/अप्रवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। अप्रवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खन्निधानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत आते हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

Rathi gndwan

अतः अंचल अधिकारी शुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा

के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को अप्रवेदक / अप्रवेदिका / आवेदकगण

श्री श्रीमति जितिया भगत जितेंद्र उराँव पिता/मति श्री/स्व. शिवपूजन

.....  
 थाना उराँव निवासी ग्राम करमटौली  
शुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा

अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का पूर्ण विवरण				
राजस्व	थाना का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा
ग्राम	एवं संख्या	संख्या	संख्या	(एकड़)
<u>करमटौली</u>	<u>शुमला/58</u>	<u>48</u>	<u>124</u>	<u>1.27 एकड़</u>
				<u>0.08 एकड़</u>

(कुल रकबा छठ डिसेमील)

चौहदी - उत्तर- दोन पवन टोपों वगैरह

दक्षिण- पक्का सहड

पूरब- नीज विक्रिताग का दोन

पश्चिम- नीज विक्रिताग का दोन

लेखापित एवं संशोधित

शुमला  
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
 गुमला।

शुमला  
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
 गुमला।

NOTIFIED TO BE FILED IN  
 Record Room

Notified under Section 20 Act 1 of  
 District Record Room GUMLA

शुमला भगत  
 8/10/22  
 रजि. 301 व  
 8/10/22

Secura

Manoj





पत्रांक - 105

कार्यालय अंचल अधिकारी, गुमला दिनांक - 11-07-2022

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भूमि विक्री/बखसीस/बंधक की जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन

- वाद संख्या:- 177/2022-23
- विक्रेता/बखसीस कर्ता/बंधक कर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता:- जितिया भगत की जितेन्द्र उराव पैखारान - स्व. शिवपूजन उराव जाति - उराव पैखा - खैती मौजा - कामटोली पाना की जिला - गुमला.
- केता/ बखसीस प्राप्तकर्ता/बंधक प्राप्तकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम, जाति एवं पता(साध्य संलग्न करें):- रश्मि इन्दवार पिता - स्व. काली इन्दवार जाति - मुण्डा पैखा - मुण्डा मौजा - तेलगाव पी. - तेलगाव पाना की जिला - गुमला.
- विक्री/दान/वसीयत/हिब्बानामा/मोख्तारनामा/बदलेन/बेबुलवफा की जाने वाली भूमि का ब्यारा -

मौजा खाता प्लॉट रकबा  
 कामटोली 48 124 0.08 ए  
 (आठ दिसमील मार)

विक्रेता से संबंधित विवरण:-

- प्रस्तावित भूमि का खतियानी विवरण:-

मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	खतियानी रैयत का विवरण
कामटोली 58	48	124	1.74 ए	मयन शीध बन्ध - देवपाल शीध

- वर्तमान पंजी ॥ रैयत का विवरण:-

पंजी ॥ का पृष्ठ संख्या एवं भाग	पंजी ॥ में दर्ज खता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	पंजी ॥ में दर्ज होने का आधार एवं अंतिम लगात रसीद निर्गत होने का वर्ष	पंजी ॥ रैयत का नाम
119 I	48	124	1.74 ए	1.10.19/68-63 2005-06	ओनी उराव को मागो उराव की धिसर उराव को एखा उराव पी. - अनु उराव

- खतियानी रैयत के साथ पंजी ॥ रैयत का संबंध:- स्वरीफ्री
- खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध:- तदेव
- पंजी ॥ रैयत से आवेदक का संबंध:- पौतागण

कर्मचारी के द्वारा स्थनीय जाँच प्रतिवेदन:-

स्थानीय जाँच की तिथि एवं समय	आवेदक के द्वारा धारित भूमि का रकबा	विक्री/बखसीस/बंधक हेतु प्रस्तावित रकबा	विक्री/बखसीस/बंधक के पचास शेष रकबा	प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य
7-07-2022 अपराह्न	1.27 ए स्वे ग्रन्थ श्रमका धारित रकबा 0.46 ए 1.13 ए 4.93 ए 7.72 ए	0.08 ए	1.19 ए एवं अनु श्रमका धारित रकबा 6.52 ए 7.71 ए	श्रमका धारित रकबा मूल्य के अनुसार

Rashmi Gndwan



कार्यालय गुमला 8/10/22

दिनांक 30/7/22 8/10/22